संख्या-- /8-3-09-432रिट/2009

प्रेषक,

अजय दीप सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. जिलाधिकारी/
नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0

4. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 10 अगस्त, 2010

**विषयः** मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) सं0-(एस) 8519/2006 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम् गुजरात राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.09.09, 7.12.2009, 4.2.2010 एवं 16.2.2010 के अनुपालन में सार्वजनिक स्थानों पर दिनांक 29.9.2009 से पूर्व हुए धार्मिक प्रकृति के अनधिकृत निर्माणों के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह (पुलिस) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-एम.एस.-10(2)/छः-पु-9-2010-31(15टी0)/2009 दिनांक 29.07.10 की संलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया गृह विभाग के उक्त पत्र दिनांक 29.7.2010 में की गयी अपेक्षानुसार प्राथमिकता पर आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

( अजय दीप सिंह )
विशेष सचिव।

संख्या एवं तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, सचिव गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. उक्त की प्रतिलिपि आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया वेवसाइट पर लोड कर समस्त सम्बन्धितों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

( शम्भूनाथ )
उप सचिव।

**मा0 उच्चतम न्यायालय प्रकरण/सर्वोच्च प्राथमिकता**
**संख्या–एम.एस.–10(2)/छः–पु.–9–2010–31(15टी.)/2009**

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1.समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपनिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।
3.समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
4.समस्त जनपद प्रभारी,
पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 27 जुलाई, 10

विषय–विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) सं0–(एस)8519/2006, यूनियन आफ इण्डिया बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.9.2009, 7.12.2009, 4.2.2010 एवं 16.2.2010 के अनुपालन में सार्वजनिक स्थानों पर दिनांक 29.9.2009 से पूर्व हुए धार्मिक प्रकृति के अनधिकृत निर्माणों के संबंध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.9.2009, 7.12.2009, 4.2.2010 एवं 16.2.2010 के तारतम्य में निर्गत शासनादेश संख्या–एस.सी.–03/छः–पु–9–2009–31(15टी.)/2009, दिनांक 29.10.2009, संख्या–299/छः–पु–9–2009–31(15टी.)/2009 दिनांक 21.1.2010, संख्या–एस.सी.–11/छः–पु–9–2009–31(15टी.)/2009 दिनांक 11.3.2010, संख्या–एस.सी.–12/छः–पु–9–2009–31(15टी.)/2009 दिनांक 11.3.2010 एवं संख्या–एस.सी.–13/छः–पु–9–2010–31(15टी.)/2009 दिनांक 3.4.2010 तथा उपर्युक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.7.2010 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, जैसा कि आप अवगत हैं, मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या –

एस.सी.—13/छः—पु—9—2010—31(15टी.)/2009 दिनांक 3.4.2010 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सार्वजनिक भूमि पर दिनांक 29.9.2009 से पूर्व हुए धार्मिक प्रकृति के अनधिकृत निर्माणों के संबंध में गुण—दोष के आधार पर (case-to-case basis) पर रिव्यू (review) करते हुए यथोचित कार्यवाही किये जाने के बारे में नीति प्रतिपादित की गई है। इस नीति के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदस्तरीय समिति द्वारा अपने जनपद के ऐसे प्रत्येक निर्माण के बारे में स्थानीय परिस्थितियों, जनभावनाओं, शांति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव के विभिन्न पहलुओं का संज्ञान लेते हुए प्रत्येक निर्माण के बारे में अलग—अलग उसे हटाये जाने अथवा किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर विस्थापित किये जाने अथवा उसे यथास्थान बनाये रखने के संबंध में गुण—दोष के आधार पर समुचित निर्णय लिया जायेगा और प्रत्येक प्रकरण के बारे में संबंधित पक्षकारों को भी सुनने का अवसर दिया जायेगा। जनपदस्तरीय समिति द्वारा लिये गये किसी निर्णय से यदि कोई व्यक्ति/संगठन/समुदाय संतुष्ट नहीं है तो वह मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मण्डलस्तरीय समिति के समक्ष दो महीने में अपील कर सकता है।

3. कृपया सार्वजनिक भूमि पर दिनांक 29.9.2009 से पूर्व हुए धार्मिक प्रकृति के अनधिकृत निर्माणों के संबंध में प्रतिपादित उक्त नीति के अनुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त ।

भवदीय,

( दीपक कुमार )
सचिव ।

**संख्या—एम.एस.—10(3)/छः—पु.—9—2010—31(15टी.)/2009,तद्दिनांक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—**

1. **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।**
2. **समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।**
3. **पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

**आज्ञा से,**

**( एस0के0 रघुवंशी )**
**विशेष सचिव।**

कोर्ट केस/सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-एस0सी0-13/छः-पु0-9-10-31(15टी0)/2009

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त जनपद प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

गृह (पुलिस) अनुभाग-9 लखनऊः दिनांकः 03 अप्रैल, 2010

विषयः-विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) सं0-(एस) 8519/2006 यूनियन आफ इण्डिया बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2009, 07.12.2009, 04.2.2010 एवं 16.2.2010 के अनुपालन में सार्वजनिक स्थानों पर दिनांक 29.9.09 से पूर्व हुए धार्मिक प्रकृति के अनधिकृत निर्माणों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2009 07.12.2009, 04.02.2010 एवं 16.02.2010 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-एस0सी0-03/छः-पु0-9-09-31(15टी0)/2009 दिनांक 29.10.2009, संख्या-299/छः-पु0-9-10-31(15टी0)/2009 दिनांक 21.01.2010, संख्या-एस0सी0-11/छः-पु0-9-10-31(15टी0)/2009 दिनांक 11.03.2010 एवं संख्या-एस0सी0-12/छः-पु0-9-10-31(15टी0)/2009 दिनांक 11.03.2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आदेश दिनांक 29.09.2009 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं :-

1) सार्वजनिक गलियों/मार्गों, सार्वजनिक पार्कों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि पर मन्दिर, चर्च, मस्जिद अथवा गुरूद्वारा आदि के नाम पर कोई भी अनधिकृत निर्माण नहीं किया जायेगा अथवा न ही उसकी अनुमति दी जायेगी।

2) धार्मिक प्रकृति का जो अनधिकृत निर्माण पहले ही हो चुका है, उसे प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार (case-to-case basis) पर रिव्यू (review) करते हुए प्रत्येक मामले में यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

3- शासनादेश संख्या-एस0सी0-03/छः-पु0-9-09-31(15टी0)/2009 दिनांक 29.10.2009 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 29.09.09 के अनुपालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व निर्धारित किये गये थे।

4- धार्मिक प्रकृति के जो अनधिकृत निर्माण दिनांक 29.09.09 से पूर्व ही हो चुके हैं, उनका चिन्हांकन करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश भी उक्त शासनादेश दिनांक 29.10.2009 द्वारा दिये गये थे।

5- शासनादेश दिनांक 29.10.2009 द्वारा ऐसे धार्मिक प्रकृति के अनधिकृत निर्माणों के चिन्हांकन की कार्यवाही करने के बारे में निम्न निर्देश दिये गये थे :-

(i) मण्डल स्तर पर इस संबंध में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति गठित की गयी थी :-

| | | |
|---|---|---|
| a) | मण्डलायुक्त | अध्यक्ष |
| b) | पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र | सदस्य |
| c) | मण्डल के प्रभारी मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग | सदस्य |
| d) | मण्डल के समस्त जिलाधिकारी | सदस्य |
| e) | मण्डल के समस्त जनपदों के पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| f) | मण्डल के अन्तर्गत स्थित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष | सदस्य |
| g) | मण्डल के अन्तर्गत स्थित नगर निगम के नगर आयुक्त | सदस्य |
| h) | मण्डलस्तरीय वनाधिकारी | सदस्य |
| i) | अपर आयुक्त (प्रशासन) | सदस्य सचिव |

(ii) जनपद स्तर पर इस संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति गठित की गयी थी :-

| | | |
|---|---|---|
| a) | जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| b) | जनपद के प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| c) | लोक निर्माण विभाग के जनपद के नोडल अधिशासी अभियन्ता | सदस्य |
| d) | नगर निगम/जनपद मुख्यालय की नगर पालिका परिषद के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी (यथास्थिति) | सदस्य |
| e) | जनपद में यदि कोई विकास प्राधिकरण या अन्य अथॉरिटी हैं तो उसके उपाध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (यथास्थिति) | सदस्य |
| f) | प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी | सदस्य |
| g) | अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत | सदस्य |
| h) | अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) और यदि अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) नहीं है तो उस दशा में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) | सदस्य सचिव |

(iii) मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश की तिथि दिनांक 29.09.09 से पूर्व हो चुके धार्मिक प्रकृति के अनधिकृत निर्माण का जनपदवार चिन्हांकन करते हुए प्रत्येक अनधिकृत निर्माण के बारे में निम्न बिन्दुओं पर सूचना संकलित की जायेगी :-

a) अनधिकृत निर्माण किस सार्वजनिक स्थान पर है (सार्वजनिक गली/सड़क/पार्क/अन्य सार्वजनिक स्थान का विवरण दें) और उक्त सार्वजनिक स्थान किस प्राधिकारी (स्थानीय निकाय/विभाग यथा लोक निर्माण विभाग) के क्षेत्राधिकार में आता है

b) निर्माण का स्वरूप (मॉदिर/चर्च/मस्जिद/गुरूद्वारा/धार्मिक प्रकृति का अन्य निर्माण)

c) निर्माण का अनुमानित क्षेत्रफल

d) उक्त निर्माण अनुमानतः कितना पुराना है

e) निर्माण स्थायी है अथवा अस्थायी

f) निर्माण की भौतिक स्थिति (जर्जर है अथवा नव-निर्माण है आदि)

g) भविष्य में उक्त निर्माण का विस्तार तो प्रस्तावित नहीं है

h) संबंधित धार्मिक स्थल के कर्ता-धर्ता का पूरा विवरण

i) क्या निर्माण के किसी अंश का आवासीय उपयोग भी हो रहा है?

j) निर्माण जनसामान्य में सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है?

k) क्या उक्त स्थल पर पूजा या अन्य धार्मिक कार्य होता है?

l) उक्त निर्माण से किसी प्रकार की सार्वजनिक असुविधा (यथा मार्ग अवरोध आदि) तो नहीं है?

m) क्या उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व किसी विधि व्यवस्था के तहत कोई अनापत्ति या अनुमति वांछित थी जो प्राप्त नहीं की गयी है?

n) क्या उक्त निर्माण हटाये जाने में विधिक/प्रशासनिक अथवा शांति व्यवस्था एवं धार्मिक सौहार्द की दृष्टि से कोई कठिनाई है? यदि हॉ तो उसका पूरा विवरण दिया जाये।

o) अन्य उल्लेखनीय तथ्य (यदि कोई हों)।

6- शासनादेश दिनांक 29.10.2009 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के सभी जनपदों में चिन्हांकन की कार्यवाही पूरी कर ली गयी होगी।

7- इस संबंध में पूर्व-प्रसारित शासनादेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29.09.09 के अनुपालन में सार्वजनिक भूमि पर दिनांक 29.9.09 से पूर्व हुए धार्मिक प्रकृति के जो अनधिकृत निर्माण जनपदों में प्रकाश में आये हैं, उनके संबंध में गुण-दोष के आधार (case-to-case basis) पर रिव्यू (review) करते हुए यथोचित कार्यवाही किये जाने के बारे में निम्नानुसार नीति प्रतिपादित की जाती है :-

क. शासनादेश संख्या-एस0सी0-03/छः-पु0-9-09-31(15टी0)/2009, दिनांक 29.10.2009 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदस्तरीय समिति (जो

कि इस शासनादेश के प्रस्तर-5(ii) में पुनः वर्णित है) द्वारा अपने जनपद के ऐसे प्रत्येक निर्माण के बारे में स्थानीय परिस्थितियों, जनभावनाओं, शांति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव के विभिन्न पहलुओं का संज्ञान लेते हुए प्रत्येक निर्माण के बारे में अलग-अलग उसे हटाये जाने अथवा किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर विस्थापित किये जाने अथवा उसे यथास्थान बनाये रखने के संबंध में गुण-दोष के आधार पर समुचित निर्णय लिया जायेगा। प्रत्येक प्रकरण के बारे में संबंधित पक्षकारों को भी सुनने का अवसर दिया जायेगा।

ख. जनपदस्तरीय समिति द्वारा लिये गये किसी निर्णय से यदि कोई व्यक्ति/संगठन/समुदाय संतुष्ट नहीं है तो वह मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मण्डलस्तरीय समिति (जो कि इस शासनादेश के प्रस्तर-5(i) में पुनः वर्णित है) के समक्ष दो महीने से अनधिक समय के अन्दर उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील की जा सकेगी।

ग. जनपद स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील की दशा में अपील के निर्णय के उपरान्त तथा यदि जनपद स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं होती है तो उस दशा में अपील की समय-अवधि बीत जाने के बाद अनधिकृत निर्माण की भूमि के लिए उत्तरदायी विभाग द्वारा जनपद स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी तथा जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सम्बन्धित विभाग को पूरा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

घ. इस सम्बन्ध में समयबद्ध तरीके से कार्यवाही की जायेगी।

8- कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या-एस0सी0-13(1)/छः-पु0-9-10-31(15टी0)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0 प्र0।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(बाबू लाल)
अनु सचिव

ITEM NO.3 COURT NO.4 SECTION IX

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (Civil) No(s).8519/2006

(From the judgement and order dated 02/05/2006 in SCA No.9686/2006 of the HIGH COURT OF GUJARAT AT AHMEDABAD)

UNION OF INDIA Petitioner(s)

VERSUS

STATE OF GUJARAT & ORS. Respondent(s)

(With appln(s) for intervention and with prayer for interim relief and office report)
(FOR FINAL DISPOSAL)

Date: 27/07/2010 This Petition was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE DALVEER BHANDARI
HON'BLE MR. JUSTICE DEEPAK VERMA

For Petitioner(s) Mr. Harin P. Raval, ASG
Ms. Sadhana Sandhu, Adv.
Mr. S.N. Terdal, Adv.
for Mr. P. Parmeswaran, Adv.

For Respondent(s) Mr. D.L. Chidananda, Adv.
Ms. Priyanka Mathur, Adv.
Mrs. Anil Katiyar, Adv.

Mr. T.S. Doabia, Sr.Adv.
Mr. D.S. Mahra, Adv.
Mr. Sudarshan Singh Rawat, Adv.

Mr. Koshal Pandaya, Adv.
Mr. S.C. Patel, Adv.
Mr. S. Bhowmik, Adv.



Mr. Pramod Swarup, Sr.Adv.
Mr. S.K. Dwivedi, Adv.
Ms. Vandana Mishra, Adv
Mr. Manoj Kr. Sharma, Adv.
Mr. Anil Shrivastav, Adv.
Mr. Ritu Raj, Adv.
Mr. Ashutosh Sharma, Adv.
Mr. Gunnam Venkateswara Rao, Adv.
Ms. Hemantika Wahi, Adv.
Ms. Nupur Kanungo, Adv.
Mr. Manu Nair, Adv.
Mr. Kirat Singh Nagra, Adv.
Mr. Manu Nair, Adv.
Mr. Kirat Singh Nagra, Adv.

for M/S. Corporate Law Group, Advs.
Mr. Edward Belho, Adv.
Mr. P. Athuimei R Naga, Adv.
Mr. K. Enatoli Sema, Adv.
Mr. Khwairakpam Nobin Singh, Adv.
Mr. Sapam Biswajit Meitei, Adv.
Mr. Tara Chandra Sharma, Adv.
Ms. Neelam Sharma, Adv.
Ms. C.K. Sucharita, Adv.
Ms. Nirada Das, Adv.
Mr. S. Thananjayan, Adv.
Mr. G. Prakash, Adv.
Ms. Beena Prakash, Adv.
Mr. V. Senthil, Adv.
Mr. Ajay Pal, Adv. (not present)
Mr. V.G. Pragasam, Adv.
Mr. S.J. Aristotle, Adv.
Mr. Prabu Ramasubramanian, Adv.
Mr. Ranjan Mukherjee, Adv.
Mr. Kamal Mohan Gupta, Adv. (not present)
Mr. A. Mariarputham, Sr.Adv.
Ms. Aruna Mathur, Av.
for M/S. Arputham, Aruna & Co., Advs.
Dr. Manish Singhvi, AAG, Raj.
Mr. Devanshu Kumar Devesh, Adv.
Mr. R. Gopalakrishnan, Adv.
Mr. Gopal Singh, Adv.
Mr. Manish Kumar, Adv.
Mr. Rituraj Biswas, Adv.
Mr. Atul Jha, Adv.
Mr. Dharmendra Kumar Sinha, Adv.
Mr. Gopal Prasad, Adv.
Mr. Vikas Upadhyay, Adv.
Mr. B.S. Banthia, Adv.
Mr. Shibashish Misra, Adv.
Mr. Divyesh P. Singh, Adv.
Ms. Kamini Jaiswal, Adv.
Mr. Naresh K. Sharma, Adv.
Mr. Anis Suhrawardy, Adv.
Mrs. D. Bharathi Reddy, Adv.
Mr. Balaji Srinivasan, Adv.
Mr. R. Nedumaran, Adv.
Ms. Anitha Shenoy, Adv.
Ms. A. Subhashini, Adv.
Mr. Sanjay Kharde, Adv.
Ms. Asha Gopalan Nair, Adv.
Mr. Milind Kumar, Adv.
Ms. Rachana Srivastava, Adv.
Mr. S.K. Sabharwal, Adv.

UPON hearing counsel the Court made the following

O R D E R

STATE OF MADHYA PRADESH:

In pursuance to the directions of this Court, the Chief Secretary of the State of Madhya Pradesh has filed an affidavit dated 22nd July, 2010 in which it has been mentioned that, on the basis of the report received from

District Collectors and District Magistrates, they identified 51,624 unauthorizedly constructed religious places on public streets, public places and public parks, in the State of Madhya Pradesh. Out of these structures, 353 structures have been removed, 88 structures have been relocated and 338 structures have been regularized.

We expect the State of Madhya Pradesh to deal with the remaining unauthorizedly constructed structures, on priority basis, on the strength of orders of this Court and on the strength of the Madhya Pradesh Sarvajanik Sthan (Dharmik Bhawan Evam Gatividhiyon Ka Viniyaman) Adhiniyam, 2001.

We direct the Chief Secretary to file further affidavit giving therein the exact status of the unauthorized constructions on public streets, public places and public parks in the State within four weeks from today.

STATE OF KARNATAKA:

The Chief Secretary of the Government of Karnataka has filed an affidavit in pursuance of the directions passed by this Court on 29.9.2009 and 7.12.2009 in which it has been mentioned that directions have already been issued to the Deputy Commissioners and District Magistrates/Addl. Deputy Commissioners and Addl. District Commissioners to ensure that no unauthorized religious constructions, like temples, churches, mosques, gurudwaras etc. whould be allowed to come up on public streets, public parks and public places.

Learned counsel for the State of Karnataka submits that on the basis of the chart which has been annexed to the affidavit, there are 2814 unauthorized religious constructions on the public roads, public park and public places. She has also drawn our attention to the policy which has been formulated by the State of Karnataka in which it is mentioned that in pursuance of the directions issued by this Court, the entire process of removing, relocating or regularising the unauthorized constructions shall be completed by 31st December, 2010.

We direct the Chief Secretary to file further affidavit indicating the latest position with regard to the removal, relocation and regularisation of the unauthorized religious constructions, within four weeks from today.

STATE OF U.P.:

The Chief Secretary of the State of U.P. has filed an affidavit dated 25.1.2010 in which they have quoted the orders of this Court dated 29.9.2009 and 7.12.2009.

We direct the Chief Secretary to file a comprehensive affidavit on the basis of the reports/ affidavits received from the District Collectors and Magistrates from all the districts in the State of U.P., indicating the total number of unauthorized religious constructions on public land, public park and public places and also indicating as to how many of them have been removed, relocated and regularized. Let that affidavit be filed within four weeks. We direct that the guidelines formulated by the State of U.P. may also be annexed along with the affidavit.

STATE OF ANDHRA PRADESH:

The Chief Secretary of the State of Andhra Pradesh has filed an affidavit in which it has been mentioned that the Government of Andhra Pradesh has held a series of meetings/discussions with various officials of the State and a preliminary survey has been conducted. It is further indicated that they identified 6707 unauthorized religious structures existing on public streets/parks/ places in the State of Andhra Pradesh out of which 2224 religious structures are existing in the objectionable public places.

We direct the Chief Secretary to file further affidavit, within four weeks, indicating therein that out of the total number of unauthorized religious structures, how many of them have been removed, relocated or regularised.

NAGALAND, SIKKIM, MIZORAM AND LAKSHADWEEP:

Affidavits have been filed on behalf of these States/Island indicating that there are no unauthorized religious structures on public lands in those States/Island and hence no further affidavit is required to be filed by them.

ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS:

An affidavit has been filed by the Deputy Resident Commissioner of Andaman and Nicobar Islands on behalf of the A & N Administration in which it has been mentioned that there are 285 religious structures on public lands in South Andaman District and 38 religious structures in North and Middle Andaman District on public lands.

We direct the Administrator of the Andaman and Nicobar Islands to file further affidavit mentioning therein as to how many of them have been removed, relocated or regularised, within four weeks from today.

DAMAN & DIU AND DADAR & NAGAR HAVELI:

In the affidavits filed on benalf of these Islands, it has been mentioned that there are 87 unauthorized religious constructions in Daman & Diu and 28 unauthorized religious constructions in Dadar and Nagar Haveli

The Administrators of these Islands are directed to file further affidavits within four weeks from today, mentioning therein the total number of unauthorized structures on public lands and as to how many of them have been removed, relocated or regularised, within four weeks from today.

List this matter for further directions on 14th September, 2010.

(A.S. BISHT)
COURT MASTER

(NEERU BALA VIJ)
COURT MASTER